Seventeenth Loksabha

p>

Title: Regarding immediate release of students of Jamia University and JNU, Delhi from jail who were protesting against CAA.

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का मौका दिया।

महोदय, यह सभी जानते हैं कि संसद का काम कानून बनाने का है। आम जनता अगर उस कानून से संतुष्ट न हो तो आन्दोलन करना उसका हक़ है।

कल बिल पास हुआ और आज किसान सड़कों पर हैं, वे आन्दोलन कर रहे हैं। ऐसे ही इस संसद ने सीएए कानून बनाया, उसके खिलाफ देश भर में आन्दोलन हुए। जामिया और जेएनयू विश्वविद्यालयों के काफी छात्रों ने आन्दोलन किए। लेकिन बदकिस्मती इस बात की है कि दिल्ली में और देश में शांतिपूर्ण आन्दोलन करने वालों के खिलाफ यू.ए.पी.ए. यानी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहने वालों के लिए बनाए गए इस कानून का दुरुपयोग करते हुए लोगों को जेल भेजा गया है। जामिया विश्वविद्यालय के एल्युम्नाई एसोसिएशन के प्रेज़िडेंट शैफुर्रहमान हों या दूसरे छात्र हों या प्रो. अपूर्वानन्द जैसे लोगों को दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल बुलाकर ग्रिल करता है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि जो बेगुनाह लोग जेलों में बंद हैं, उनको जल्दी-से-जल्दी छुड़वाया जाए और चार्जशीट का जो समय होता है, उसको जानबूझकर दिल्ली पुलिस नहीं फाइल कर रही है, जिससे ज्यादा-से-ज्यादा वक्त बिना ट्रायल के उन निर्दोष लोगों को जेलों में रखा जा सके क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: श्री मलूक नागर को कुंवर दानिश अली द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।